13-5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–18 / 2024
GCMS NO:- 2024/27

दायर दिनांकः 06.02.2024
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती प्रीति मीणा

गोरूलाल बैरवॉ आ0 कजोड जाति बैरवॉ नि0 बांसी तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थी

बनाम

भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थीया की ओर से वकील श्री सीताराम नागर।

निर्णय दिनांक 16.05.2025

–निर्णय–

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बांसी तहसील नैनवॉ की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 की खाता संख्या 143, 144 व 145 की भूमि प्रार्थी संयुक्त खातेदार राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है तथा हिस्सानुसार भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी को बचपन से प्यार से ग्यारसा के नाम से भी जाना जाता था इसलिए प्रार्थी के पिता का फोती नामान्तरकरण मे ग्यारसा नाम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत मे राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक मे गोरू पुत्र कजोड नाम दर्ज है। ग्यारसा पुत्र कजोड नाम का ग्राम बांसी मे प्रार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नही है। प्रार्थी को ही ग्यारसा एवं गोरू के नाम से जाना जाता था, ग्यारसा व गौरू पुत्र कजोड एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे ग्यारसा पुत्र कजोड होने से खाद, बीज, बैंक लॉन, सहकारी के लेन–देन मे फायदा नही मिल रहा है तथा जब प्रार्थी के नाम शुद्वी के लिए प्रत्यार्थी से संपर्क किया तो अदालत मे जाने की सलाह दी गयी। तथा दिनांक 22.01.2023 को जमाबन्दी निकलवाने गया तो यह पता लगा कि राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी का नाम ग्यारसा दर्ज है, यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1, 2 व 3 मे वर्णित अपनी संयुक्त खातेदारी अधिकार व हिस्से की भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित गलत नाम ग्यारसा के स्थान पर गोरू दर्ज करवाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवां ने पत्रांक / भु0अ0 / 25 / 1949 दिनांक 05.5.2025 द्वारा जवाब / रिपोर्ट पेश कर बताया कि पटवारी हल्का बांसी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र मे अंकित चरण संख्या 1 से 4 सही है एवं बिन्दू संख्या 5 के अनुसार ग्रामवासीयान से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी गोरूलाल पुत्र कजोड जाति बैरवॉ जिसे बचपन मे ग्यारसा, गोर्या नामों से भी पुकारा जाता था अतः प्रार्थी के पिता की मृत्यु उपरान्त फौती नामान्तरकरण से प्रार्थी का नाम ग्यारसा पुत्र कजोड जमाबन्दी ग्राम बांसी मे दर्ज हो गया। ग्यारसा, गोर्या एक ही व्यक्ति गोरू पुत्र कजोड का नाम है। ग्यारसा पुत्र कजोड जाति बैरवॉ नाम का कोई अन्य व्यक्ति ग्राम बांसी मे नही है। ग्यारसा का नाम गोरू किया जाने के संबंध मे तहसीलदार नैनवॉ द्वारा मय अभिशंषा रिपोर्ट पेश की।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम ग्यारसा दर्ज हो रहा है जो गलत दर्ज हो रहा है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, सरकारी दस्तावेजों व अन्य सभी दस्तावेजों में गोरू ही दर्ज है जिसको राजस्व

रिकॉर्ड मे अंकित गलत नाम ग्यारसा पुत्र कजोड के स्थान पर संशोधन करवाकर सही नाम गोरू पुत्र कजोड दर्ज करवाने का निवेदन किया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रस्तुत जवाब/रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली मे संलग्न प्रार्थी के आधार कार्ड, बैंक डायरी, जनाधार में प्रार्थी का नाम गोरू अंकित है तथा राजस्व रिकॉर्ड मे ग्यारसा अंकित है जिसके संबंध मे तहसीलदार नैनवॉ द्वारा भी फौती नामान्तरकरण खोलते समय प्रार्थी का नाम ग्यारसा अंकित होना जाहिर किया जाकर प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाकर ग्यारसा पुत्र कजोड के स्थान पर गोरू पुत्र कजोड करने की अभिशंषा की है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम बांसी के खाता संख्या 143, 144 व 145 में दर्ज "ग्यारसा पुत्र कजोड' के स्थान पर "गोरू पुत्र कजोड" शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नैनवां को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ